उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

पो0ऑ0– गुरुकुल कॉगड़ी, हरिद्वार– 249 404

website-www.ukpsc.gov.in, E-mail-ukpschdr@gmail.com

विज्ञापन संख्या :: A-3/E-1/DR(RI)/2016-17

सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) परीक्षा– 2017

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	::	17 फरवरी, 2017
ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि	::	15 मार्च, 2017 (समय रात्रि 11:59:59)
e-challan का प्रिंटआउट प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	::	17 मार्च, 2017 (समय रात्रि 11:59:59)
e-challan द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	::	20 मार्च, 2017 (बैंक समयावधि में)
परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit card द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि	::	20 मार्च, 2017 (समय रात्रि 11:59:59)
ऑनलाईन आवेदन की प्रति सहित अनिवार्य अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	::	31 मार्च, 2017 के सायं 06:00 बजे तक

<u>अति महत्वपूर्ण निर्देश</u> :–

1– अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में, रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस)19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा धारित करना आवश्यक है।

2– आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) आयोग द्वारा नियमानुसार सम्पादित की जायेगी।

3– अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन की **<u>अन्तिम तिथि 15 मार्च, 2017</u>** तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं धारित करना अनिवार्य है।

4– अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। ऑनलाइन आवेदन की प्रिन्टआउट प्रति के साथ विज्ञापन के निर्देशानुसार अनिवार्य अर्हता से संबंधित समस्त स्व–हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र आयोग को दिनांक 31 मार्च, 2017 के सांय 06:00 बजे तक डाक से या किसी अन्य माध्यम से उपलब्ध कराने आवश्यक हैं। उक्त निर्धारित तिथि व समय तक प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने पर ऑनलाईन आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

5– फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम् 05 वर्षो के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।

6– ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र आदि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7– आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भाति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें।

8– प्रश्नगत परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ई–चालान/नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9– विज्ञापित पद के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जायेगा। एक अभ्यर्थी के नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी के सभी आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगें।

10– आवेदन करने की अंतिम तिथि व नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा "Online application" प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र "Submit" बटन को "Click" करने एवं नियत समय तक ई–चालान/नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा–शुल्क जमा करने पर ही "Online application" प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी।

11– अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें।

12– अभ्यर्थी परीक्षा योजना के लिए **परिशिष्ट–1**, पाठ्यक्रम के लिये **परिशिष्ट–2** तथा **आरक्षण एवं अनुभव हेतु प्रमाण पत्रों** के प्रारूप के लिए **परिशिष्ट–3** का अवलोकन करें।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) परीक्षा–2017 का आयोजन किया जायेगा। पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाईन आवेदन आमन्त्रित किये गये हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट पर दिनांक **15 मार्च, 2017** तक ऑन लाईन आवेदन कर सकते हैं। लिखित एवं प्राविधिक परीक्षा का आयोजन हरिद्वार नगर में किया जायेगा। परीक्षा योजना **परिशिष्ट–1**, परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम **परिशिष्ट–2** में वर्णित है।

2. रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है–

वेतनमानः– 9300—34800 G.P- 4200

क्र0सं0	विभाग	पदनाम	रिक्तियां	श्रेणीवार विवरण			
				GEN	SC	ST	OBC
1.	परिवहन विभाग	सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	03	03	00	00	00

नोट– (1) रिक्तियों की कुल संख्या 03 हैं। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है।

3. पद का स्वरूप :– अराजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त।

4. (1) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता– (क) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा (विज्ञान विषय सहित) या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ख) राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त यांत्रिक (मैकेनिकल) या ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ग) किसी प्रतिष्ठित वृहत् ऑटोमोबाईल कार्यशाला में, जहां डीजल तथा पेट्रोल इंजिनयुक्त हल्के एवं भारी वाहनों (यात्री वाहनों सहित) की मरम्मत आदि से सम्बन्धित कार्य होता हो, कार्य करने का न्यूनतम पाँच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।

(घ) अभ्यर्थी मोटर साईकिल, माल वाहन एवं यात्री वाहन/भारी मोटर वाहन चलाने का लाईसेंस धारक हो।

(ड.) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का सम्यक ज्ञान होना चाहिए।

नोट :– 1. अनुभव प्रमाण पत्र परिशिष्ट–3 के प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराने पर मान्य होगा।
2. अनुभव की गणना UK PSC (Procedure & conduct of Business) Rules - 2013 के नियम 21(4) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ही की जायेगी।

(2) अधिमानी अर्हता :– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

5. अनिवार्य/वांछनीय अर्हता– (1) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 के नियम 04 के अनुसार समूह 'ग' के पद हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा। सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) का पद समूह 'ग' से संबंधित है जिसके लिए उक्त नियमावली के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण प्रमाण पत्र अद्यतन होना आवश्यक है परन्तु शासन के पत्रांक 1097/XXX (2)/2011 दिनॉक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार 'जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है' उनके लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं हैं, इसी प्रकार शासन के पत्रांक 809/XXX (2)/2010–3(1), दिनॉक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नही होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा संबंधित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र को सेवायोजन कार्यालय मे पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।

(2) ऑनलाईन आवेदन पत्र में पंजीकरण से संबंधित कॉलम में स्पष्ट सूचना भरें तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रिंट–आउट प्रति एव अन्य अनिवार्य अर्हता के प्रमाण पत्रों के साथ प्रस्तुत करें। यदि राज्याधीन सेवा में हैं, तो नियुक्ति पत्र/विभाग का प्रमाण पत्र प्रिंट–आउट प्रति के साथ प्रस्तुत करें।

6. आयु :– आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2017 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2017 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 42 वर्ष की नहीं होनी चाहिए। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 1975 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1996 के बाद का नहीं होना चाहिए। परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,

अन्य पिछड़े वर्गो तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी जैसा कि विहित किया जाए।

7. <u>अधिकतम आयु सीमा में छूट :–</u> विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय–समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशो के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

8. उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी को ही अनुमन्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी/उप श्रेणी की सूचना प्रदान करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

9. यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

10. आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें। कुछ निर्धारित प्रारूप इस विज्ञापन के **<u>"परिशिष्ट–3"</u>** में उल्लिखित हैं।

11. <u>राष्ट्रीयता :</u> सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केन्या, उगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीका देश से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप–महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह और भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

<u>12. चरित्र :–</u> सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या किसी निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

<u>13. वैवाहिक प्रास्थिति</u> :– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

<u>14. शारीरिक स्वस्थता</u> :– किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित करने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में समाविष्ट मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

15. <u>आवेदन कैसे करें</u> :– इच्छुक अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशानुसार अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। ऑनलाईन आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् हैं–

ऑन–लाईन आवेदन की तिथि	**17 फरवरी, 2017 से 15 मार्च, 2017 (समय रात्रि 11:59:59)**
e-challan का प्रिंट आउट प्राप्त करने की तिथि	**19 फरवरी, 2017 से 17 मार्च, 2017(समय रात्रि 11:59:59)**
e-challan से परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि	**19 फरवरी, 2017 से 20 मार्च, 2017 (बैंक समयावधि में)**
परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit card द्वारा जमा करने की तिथि	**19 फरवरी, 2017 से 20 मार्च, 2017 (समय रात्रि 11:59:59)**
अनिवार्य अर्हता एवं ऑनलाईन आवेदन की प्रिन्टआउट प्रति व परीक्षा शुल्का रसीद सहित समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि–	**19 फरवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017 केसायं 06:00 बजे तक।**

<u>16. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया</u> :–

(1) अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर जाएं।

(2) ऑनलाइन आवेदन हेतु **REGIONAL INSPECTOR (TECH.) EXAMINATION-2017** के सम्मुख "**<u>Click Here</u>**" पर Click करें।

(3) वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही–सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।

(4) ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को <u>सावधानीपूर्वक</u> जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Reset** पर Click करे एवं पुनः समस्त प्रविष्टियां भरे। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Continue** पर Click करें।

(5) वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ (10 KB से कम न हो तथा 40 KB से अधिक न हो) एवं हस्ताक्षर JPG Format (10 KB से कम न हो तथा 20 KB से अधिक न हो) में अपलोड करने होंगे।

(6) आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी **Update** पर Click करें तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में **I Agree** पर Click करें।

(7) ''**<u>आप का आवेदन पत्र आयोग में जमा हो गया है</u>**'', का संदेश प्राप्त होने के पश्चात अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र को डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रख ले। इस ऑनलाईन आवेदन की एक प्रति समस्त प्रमाण–पत्रों के साथ आयोग को प्रेषित करें।

(8) अभ्यर्थी ऑन–लाईन आवेदन पत्र भरने के 48 घण्टे अर्थात 02 दिन पश्चात ही अपना परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी **www.ukpsc.gov.in** पर जायें और **"Submit the fee after 48 hours of filling the form"** पर क्लिक करें।

(9) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क e-challan द्वारा State Bank Of India (SBI) की किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी Net Banking/Debit Card द्वारा भी परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। Net Banking/Debit Card के माध्यम से जमा किये गये परीक्षा शुल्क पर सेवा शुल्क एवं सेवा कर (जैसे भी लागू हो) बैंक द्वारा अलग से चार्ज किये जायेंगे। नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड से शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थी REGIONAL INSPECTOR (TECH.) ONLINE FEE PAYMENT पर क्लिक करें। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात् आयोग की वेवसाइट अथवा State Bank Of India (SBI) की वेबसाइट से शुल्क जमा करने की रसीद प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा बैंक की वेबसाइट पर PAYMENT HISTORY के अर्न्तगत परीक्षा शुल्क जमा हो जाने की सूचना भी प्राप्त कर सकते है।

(10) <u>उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा</u> तथा निर्धारित तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा न करने पर ऑन–लाईन आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

<u>17. शुल्क</u> :– परीक्षा शुल्क निम्नवत है :–

क्र0सं0	श्रेणी	शुल्क
01	सामान्य /अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित	रू0 150/–
02	अनुसूचित जाति (एस0सी0)/अनुसूचित जनजाति(एस0टी0)/विकलांग/पूर्व सैनिक	रू0 60/–

उत्तराखण्ड महिला जिस <u>वर्ग या श्रेणी</u>, **यथा**–सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की हों, उन्हें उसी <u>वर्ग/श्रेणी</u> हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

ऑनलाईन आवेदन की प्रिन्ट आउट प्रति व परीक्ष शुल्क की रसीद के साथ शैक्षणिक अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र, अनुभव प्रमाण–पत्र, सेवायोजन कार्यालय का पंजीकरण पत्र/राज्याधीन सेवा में कार्यरत् होने के सम्बन्ध में नियुक्ति–पत्र इत्यादि की स्वप्रमाणित प्रतियॉ लिफाफे में रखकर **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरुकुल काँगड़ी, हरिद्वार– 249404** को दिनाँक 31 मार्च, 2017 के सायं 06:00 बजे तक डाक के माध्यम से अथवा किसी अन्य माध्यम से उपलब्ध कराना आवश्यक है। अभ्यर्थी लिफाफे के ऊपर बडे अक्षरों में **सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) परीक्षा– 2017 एवं अनुभाग का नाम– परीक्षा अनुभाग–1** अवश्य अंकित करें।

उक्त तिथि व समय के पश्चात् कोई भी लिफाफा स्वीकार नहीं किया जायेगा और उक्तानुसार प्रमाण–पत्र उपलब्ध न कराने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे।

18. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश :–

आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी। अभ्यर्थियों हेतु **Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013 एवं प्रथम संशोधन 2016** और उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली–2012 यथा संशोधित 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन) व 2016 (चतुर्थ संशोधन) आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(I) लिखित परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा हेतु निर्देशः–

(1) अभ्यर्थियों को लेखन सामग्री स्वयं लानी होगी। अभ्यर्थी अपने साथ लायी गयी पुस्तक, नोट्स, कागज आदि परीक्षा कक्ष के बाहर निर्धारित स्थान पर जमा करेंगे। यद्यपि इन वस्तुओं की सुरक्षा का प्रबन्ध रहेगा फिर भी यदि सामान खो जाता है तो इसका दायित्व आयोग का नहीं होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो अभ्यर्थी को उस परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं तथा चयन (Selection) से वंचित (Disqualify) किया जा सकता है, चाहे उक्त सामग्री का प्रयोग नकल करने में किया गया हो अथवा नहीं।

(2) परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(3) अभ्यर्थी परीक्षा में नॉन प्रोग्रामेबल किस्म के सरल बैटरी चालित पॉकेट कैलकुलेटर का प्रयोग इस प्रतिबन्ध के अधीन कर सकते हैं कि सम्बंधित प्रश्न के निर्देश/नोट में भी इसके प्रयोग की अनुमति का उल्लेख हो।

(4) उत्तर पुस्तिका Answer Booklet के आवरण पृष्ठ पर केवल निर्धारित स्थान पर ही अंकों एवं शब्दों में अनुक्रमांक लिखें। प्रश्नोत्तर में, यदि नाम या पता लिखना जरूरी हो तो नाम के लिए XYZ अथवा '**अबस**' एवं पता के स्थान पर ABC अथवा '**कखग**' लिखें। प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कोई असंगत, अप्रासांगिक तथा अवांछनीय बात लिखने पर आयोग अपने विवेकानुसार अभ्यर्थी को दण्डित कर सकता हैं।

(5) प्रश्न–पत्र दिये गये निर्देशों के अनुसार ही हल करें। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न हल किये जाते हैं तो प्रारम्भ से लेकर निर्धारित संख्या तक कुल किये गये प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जायेगा और शेष की उपेक्षा की जायेगी। यदि किसी प्रश्नोत्तर को आपके द्वारा काटा जाता है तो काटने के बाद उसके नीचे यह अवश्य लिखा जाए कि उत्तर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है और उसका मूल्यांकन न किया जाए।

(6) अभ्यर्थी परीक्षा प्रारम्भ होने पर प्रथम एक घण्टे में प्रसाधन आदि के परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जा सकेंगे और इसी प्रकार परीक्षा समाप्ति से आधा घण्टा पूर्व से परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जा सकेंगे।

(7) प्रत्येक सत्र की परीक्षा समाप्ति पर अभ्यर्थी तब तक अपने स्थान पर बैठे रहेंगे जब तक उनकी उत्तर पुस्तिका Answer Booklet कक्ष निरीक्षक द्वारा जमा न कर ली जाय। परीक्षा समय समाप्ति के पश्चात कोई भी अभ्यर्थी उत्तर लिखने का प्रयास नहीं करेगा।

(8) अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में या हिन्दी देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, परन्तु भाषा के प्रश्न पत्र का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना आवश्यक है। किसी एक ही प्रश्न–पत्र के कुछ प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी और कुछ का हिन्दी में लिखना अथवा एक ही प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में लिखना वर्जित है, अर्थात प्रश्न पत्र का सम्पूर्ण रूप में, उपर्युक्त में से किसी एक भाषा में उत्तर देना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार प्राविधिक शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में किया जा सकता है। मिश्रित भाषा में उत्तर देने पर अंकों में कटौती की जा सकती है।

(9) उत्तर लिखने में अनुदेशों का उल्लंघन करने पर दण्डस्वरूप निम्नानुसार कार्यवाही की जायगी–

(i) पेन्सिल से लिखे गये उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(ii) मिश्रित भाषा का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 5 प्रतिशत अंक की कटौती की जायेगी।

(iii) प्रश्न संख्या न लिखने अथवा गलत लिखने पर 01 अंक, प्रश्न का खण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/2 अंक तथा प्रश्न का उपखण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

(iv) उत्तर पुस्तिका में असंगत/धार्मिक चिह्न/आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग करने पर 01 अंक की कटौती की जायेगी।

(v) उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर एक या अनेक बार अनुक्रमांक अथवा नाम लिखने पर 02 अंकों की कटौती की जायेगी।

(vi) उत्तर पुस्तिका में नाम और अनुक्रमांक दोनों एक साथ एक बार या अनेक बार लिखने पर 03 अंकों की कटौती की जायेगी।

(vii) उत्तर पुस्तिका में अप्रासांगिक बातें लिखने तथा अनुक्रमांक और नाम तीनों एक साथ लिखने पर 04 अंकों की कटौती की जायेगी।

(viii) उत्तर पुस्तिका में परीक्षक से अपील/अनुरोध करने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(ix) उत्तर पुस्तिका में असंगत/अप्रासांगिक बाते लिखने तथा अनुक्रमांक एवं नाम और परीक्षक से अपील (अनुरोध/अनुनय/अभ्यर्थना) करने सहित चारों को एक साथ, एक या अनेक बार लिखने पर 05 अंक की कटौती की जायेगी।

(x) प्रश्न के उत्तर के रूप में पत्र लेखन में नाम के स्थान पर XYZ या **'अबस'** एवं पते के स्थान पर ABC या **'कखग'** के अलावा काल्पनिक अथवा वास्तविक नाम एवं पता लिखने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(xi) उत्तर लिखने में नीली अथवा काली स्याही के अतिरिक्त अन्य रंग की स्याही का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(II) प्रायोगिक परीक्षा के लिए निर्देशः–

(i) अभ्यर्थियों को प्रायोगिक परीक्षा के लिए निर्धारित स्थान व समय पर उपस्थित होना होगा, जिसकी सूचना प्रवेश पत्र, आयोग की वेबसाइट व समाचार पत्रों के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

(ii) प्रायोगिक परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को ड्राईविंग लाईसेंस लाना अनिवार्य है।

(iii) प्रायोगिक परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षकों के निर्देश का अनुपालन करना अनिवार्य है। निर्देशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(III) साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्देशः–

(1) लिखित परीक्षा व प्रायोगिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आहूत किया जायेगा।

(2) साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन पत्र भरकर ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों से संबंधित शैक्षणिक/आरक्षण/अनुभव/विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि के प्रमाण पत्र संलग्न कर साक्षात्कार तिथि को आयोग के अधिकारियों के समक्ष परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराये जायेगें। इस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(3) मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय ही अभ्यर्थी को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहां अभ्यर्थी द्वारा शिक्षा पायी हो, अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(4) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों कें सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' मूल रूप में अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(5) मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांको के योग के अनुसार श्रेणीवार/उपश्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मैरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।

19. सामान्य निर्देश :–

(1) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(2) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(3) परीक्षा के सभी स्तरों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(4) मूल आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(5) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(6) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न किए जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(7) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। **अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।** अनर्ह सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(8) प्रश्नगत परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन तथा अनिवार्य अर्हता से सम्बन्धित समस्त प्रमाण–पत्र आमंत्रित किये गये हैं। परीक्षा शुल्क केवल ई–चालान/नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(09) आयोग से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञापित पद/परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं0 तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्यक किया जाना चाहिए।

(10) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का समय–समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

(11) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को, आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण–पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरूद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि आयोग को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(12) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परिक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है।

(13) **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित**:– कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(14) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध **Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013 (प्रथम संशोधन 2016)** के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(15) **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:–** अभ्यर्थियों को सचेत किया है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(16) **परीक्षा भवन में आचरण :–** परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नही करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

(17) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :–1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश

करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, ,या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा तथा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर प्रत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूट–रचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए है, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हैं, अथवा 13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(18) आरक्षण की दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम. /तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण–पत्र का निर्धारित प्रारूप विज्ञापन के साथ **परिशिष्ट–3** में प्रकाशित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण एवं आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(19) न्यूनतम अर्हक अंक उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रकिया नियमावली–2012 (प्रथम संशोधन–2013, द्वितीय संशोधन–2014, तृतीय संशोधन–2015 व चतुर्थ संशोधन–2016) के अनुसार प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों को नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही मैरिट के आधार पर अगले चरण हेतु सफल घोषित किया जायेगा–

(जी0एस0 रावत)
प्रभारी सचिव।

परिशिष्ट–1

सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) परीक्षा–2017

परीक्षा योजना

क्रमांक	प्रश्न–पत्र	पूर्णांक	समय
1.	प्रथम प्रश्न–पत्र (लिखित प्रकृति) First Question Paper (Written Nature)	50 अंक	2 घण्टे
2.	द्वितीय प्रश्न–पत्र (लिखित प्रकृति) Second Question Paper (Written Nature)	100 अंक	3 घण्टे
3.	प्रायोगिक परीक्षा Practical Examination	100 अंक	–
4.	साक्षात्कार Interview	35 अंक	

कुल अंक – 285 अंक

परिशिष्ट–2

सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) परीक्षा, 2017

परीक्षा पाठ्यक्रम

(क) लिखित परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे :–

(1) **प्रथम प्रश्न–पत्र–** राजमार्ग कोड, मोटर वाहन अधिनियम एवं उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) से संबंधित। **(पूर्णांक 50, समय– 02 घण्टे)**

(2) **द्वितीय प्रश्न–पत्र** –निम्नलिखित विषयों पर आधारित–

1. मोटर यातायात वाहनों पर अनुरक्षण एवं रख–रखाव।
2. सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रमुख कारक।
3. यातायात वाहनों की आधुनिक प्रथम व द्वितीय लाईन मरम्मत।
4. पैट्रोल व डीज़ल से चालित इंजिनों की यंत्रावली व कार्यप्रणाली।
5. सेवा परीक्षा एवं माडल नित्यक्रम परीक्षण।

(पूर्णांक 100, समय– 03 घण्टे)

(ख) मोटरों पर एक प्रायोगिक परीक्षा– **(पूर्णांक 100)**

प्रायोगिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नवत् होगा–

I. The Practical examination will have following three components :-

1- Driving test on heavy vehicle as per the provisions of Motor Vehicle Act.

(40 Marks 30 Minutes)

Driving Test:-
Expert committee should observe and evaluate the candidates for their compliance to

(i)	Precautions method before driving	10 Marks
(ii)	Precautions method during driving	20 Marks
(iii)	Precautions method after driving	10 Marks
	Total =	**40 Marks**

2- Dismantling and Assembling of different components using proper tools and following proper safety procedures. **(40 Marks 2 Hours)**

For the dismantling and assembling of different components, a complete written record of each of the activity will be recorded by the candidate. The record will consist of-

(i) Observations of the defective part,
(ii) Diagnosis and fault finding ,
(iii) Remedial measures.

The record will be evaluated by the expert committee. Each candidate will be assigned individual job.

3- Viva and general awareness skill and knowledge and competence of candidates about motor vehicles. **(20 Marks 30 Minutes)**

(ग) व्यक्तित्व परीक्षा– **(पूर्णांक 35)**

परिशिष्ट–3

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण–पत्र का प्रारूप
उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड की ....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील ....नगर ....जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर ....

दिनांक : पूरा नाम ....

मुहर : पदनाम ....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील ....नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड के राज्य की .. .. पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ....तहसील .... नगर .... जिला ....में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर ....

दिनांक : पूरा नाम ....

पदनाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिलामजिस्ट्रेट/तहसीलदार
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला ....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र/अविवाहित पौत्री उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान : हस्ताक्षर ....

दिनांक : पूरा नाम....................................

पदनाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी ....

(सील) ....

निःशक्तता प्रमाण–पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – ....

तारीख ....

निःशक्तता प्रमाण – पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्ययक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 ....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ... .आयु.. लिंग............................ पहचान चिन्ह.. ....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनां पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुॅच
(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टॉगें और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुॅच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंधता

(ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी–बधिर

(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। ....वर्षों .... महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निशक्तता का प्रतिशत .... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:–

(i)	एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(ii)	पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है ।	हॉ/नहीं
(iii)	एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(iv)	के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं	हॉ/नहीं
(v)	बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(vi)	एस–बैठ कर कार्य कर सकते /सकती हैं।	हॉ/नहीं
(vii)	एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(viii)	डब्लू–चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(ix)	एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(x)	एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(xi)	आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं

डा0.......................................)	(डा0.......................................)	(डा0.............................)
सदस्य	सदस्य	सदस्य
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

EXPERIENCE CERTIFICATE FORMAT

Logo of Office (If available)	Name of Deptt./Office :.. Address of Deptt./Office :.. Date of Reg. of Company/Firm/Society/Institution/Trust :.................... Telephone No :.. Website :...

Ref. No. – Date :................................

This is certify that Shri/Smt./Km. .... son/Daughter/Husband of Shri................. is an employee of this Department/ Organization/Company/Firm/Society/Institution/Trust and duties performed by him during the period(s) are as under :

Name of post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total Period dd/mm/yy	Nature of appointment (Permanent-Regular/Temporary/ Part-time/ Contract/Visiting faculy/Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Specialty/Field of Research/ Tecnical/ Administration/ Academic or any other experience.	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/ experience gained in brief in each post (Please give details, if need be, in attached sheet)	Place of posting	Worked at supervisory level/middle management level/head of branch of others
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

It is also certify that above facts and figures are true and based on service records available in our Department/University.

Date :

Place Sign...

(Name & Signature of Authorized

Signatory in Capital Letters)

Name & Signature of Candidate : Designation with seal

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार

श्रुतलेखक प्रपत्र

परीक्षा का नाम–			परीक्षा तिथि–
परीक्षा केंद्र का नाम–		कोड–	सत्र– प्रथम / द्वितीय
विषय–		कोड–	प्रश्नपत्र–प्रथम / द्वितीय
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	विकलांगता का पूर्ण विवरण	आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	परीक्षा का स्वरूप (वस्तुनिष्ठ / विवरणात्मक)

1. अभ्यर्थी का पूरा नाम :

(क) हिन्दी में : श्री / श्रीमती / कुमारी ....

(ख) अंग्रेजी में (In Capital Letters): Mr./Mrs./Miss...

2. श्रुतलेखक का पूरा नाम :

(क) हिन्दी में : श्री / श्रीमती / कुमारी ....

(ख) अंग्रेजी में (In Capital Letters): Mr./Mrs./Miss...

3. श्रुतलेखक के पिता का नाम : ....

परीक्षा या कोर्स का नाम	वर्ष	उत्तीर्ण / अध्ययनरत	श्रेणी / ग्रेड	माध्यम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम
1	3	4	5	6	7
हाई स्कूल					
इन्टर					
स्नातक					

4. श्रुतलेखक की जन्म तिथि : .... / .... / ....

5. श्रुतलेखक की शैक्षणिक अर्हता :–

1. श्रुतलेखक का पत्र–व्यवहार का पता (फोन/मोबाईल नम्बर सहित) ....

....

....

2. अभ्यर्थी की घोषणा :– (1) मैं यह घोषणा करता हूॅ कि ऊपर अंकित की गयी समस्त सूचनायें/विवरण पूर्णतया सत्य हैं एवं कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि उपरोक्त में कोई भी तथ्य गलत पाया जाए तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए एवं मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

(2) मेरे द्वारा परीक्षा हेतु लाये गए श्रुतलेखक के आचरण एवं व्यवहार की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी तथा परीक्षा केन्द्र में यदि श्रुतलेखक किसी अनुचित साधन के प्रयोग अथवा ऐसे किसी भी कार्य में लिप्त पाया जाता है जो परीक्षा सम्बन्धी किसी नियम का उल्लंघन हो, तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए एवं मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

3. श्रुतलेखक की घोषणा :– मेरे द्वारा परीक्षा केन्द्र में मर्यादित एवं परीक्षा के नियमों के अनुरूप आचरण किया जायेगा। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी .... द्वारा मुझे समस्त नियमों एवं निर्देशों से अवगत करा दिया गया है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर	श्रुतलेखक के हस्ताक्षर
नाम......................	नाम......................
दिनांक..................... स्थान....................	दिनांक..................... स्थान................